

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक/308/सां0लि0/2020

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

दुर्ग जिले में COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1857 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अंकित आनंद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग यह आदेश करता हूँ कि :-

1. राशन दुकानें, मेडिकल दुकानें आदि छूट प्राप्त दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि केतागण दुकानदार एवं परसपर कम-से-कम एक मीटर की दूरी बनाकर कतारबद्ध रहेंगे। इसके लिये चूना, पेंट अथवा अन्य विधि से दुकानों के सामने मार्किंग सुनिश्चित की जावे। जो दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं कर सकेंगे, उन्हें दुकान संचालन की छूट समाप्त मानी जावेगी।

2. नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि सार्वजनिक स्थान जैसे- सब्जी मण्डी इत्यादि में कम-से-कम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग करने हेतु चूना, पेंट इत्यादि से मार्किंग किया गया है।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 25 मार्च, 2020

पृ0कमॉक/309/सां0लि0/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग,
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली,
7. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग,
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/धमधा/पाटन,
9. सर्व उप पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जिला दुर्ग
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग/धमधा/पाटन, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. उप संचालक, जन सम्पर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग